न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 103 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. अणदाराम पुत्र मोडाराम 2. श्रीमती गीगोदेवी पुत्री मोडाराम जाति राईका निवासी बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 3. श्रीमती जमनादेवी पुत्री मोडाराम जाति राईका निवासी मानासर फलसुण्ड तहसील फलसुण्ड जिला जैसलमेर 4. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी हुकमाराम जाति जाट निवासी सांगणा कुंआ तहसील व जिला बाड़मेर 5. भगवानाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. मंगीदेवी पत्नी पुनमाराम जाति जाट निवासी आहोणी बेनिवालो की ढाणी माधासर तहसील बायतु के क्रेतागण 1 / 1राईदेवी पत्नी सिरदाराराम जाति जाट निवासी केसुम्बला हरचन्द तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर 1 / 2जेतीदेवी पत्नी घमण्डाराम जाति जाट निवासी रूपोणी बागडवो की ढाणी बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 1 / 3इमरतीदेवी पत्नी खेताराम जाति जाट निवासी मिठियासर पनावडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर 2. खरथाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी हुडो की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 3. अमेदाराम पुत्र चुनाराम जाति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	जाट निवासी मिठीयासरा पनावड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर 4. खेताराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी मिठीयासरा पनावड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर 5. पेमीदेवी पत्नी भुराराम जाति जाट निवासी थाकणों की ढाणी अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर 6. उदयराज पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी थाकणो की ढाणी अकदडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर 7. भीखाराम पुत्र मोडाराम जाति राईका निवासी बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 8. हिमथाराम पुत्र मोडाराम जाति राईका निवासी बायतु चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर 9. भंवरलाल पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी बायत चिमनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	10. महेन्द्रपालसिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी वायतु चिमनजी तहसील वायतु जिला बाड़मेर 11. तहसीलदार वायतु

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी वायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 123/2018 बअनवान मांगीदेवी वगैरह वनाम अणदाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री लाधूराम पूनिया रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 स्वयं ने एवं उतदाता संख्या 02 से 06 की ओर से अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा बायतु चिमनजी में उतरदाता संख्या 01 से 06 प्रार्थीगण की खातेदारी का एक खेत खसरा संख्या 1169/1108 रकबा 04 बीघा का आया हुआ है जिस पर उनके रहवासी ढाणी व टांका आदि बने हुए है उक्त प्रार्थना—पत्र में उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि उनके खेत की जोत में आने जाने हेतु अपीलकर्तागण एवं उतरदाता संख्या 07 से 10 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1040/846 रकबा 128.14 बीघा मौजा बायतु चिमनजी में आया हुआ है। प्रार्थीगण के खेत में सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता अपीलकर्ताओ का खेत ही है इसलिए अपीलकर्ता विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से 20 फीट चौड़ा नया मार्ग खोलने का नया मार्ग स्वीकृत करावे। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटस की व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा मौका देखते समय अपीलकर्तागण को कोई सूचना नहीं दी गई और उनके नोटिस पर यह पूर्णतया गलत अंकन किया गया कि उन्होने नोटिस लेने से इंकार किया गया। खसरा संख्या 1040/846 में से रास्ता दिया गया 20 फीट लेकिन अपीलाधीन आदेश की पालना करते वक्त रास्ते की चौड़ाई लगभग 200 फीट कर दी गई तथा तरमीम गलत कर दी गई। गलत तरमीम करने पर अपीलांटस के खातेदारी अधिकारों को खत्म किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। तरमीम गलत हुई है तो उसका प्रावधान अलग से किया हुआ है। तरमीम की वजह से उतरदाता को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से वंचित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटगण की व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई है। मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त जारी सम्मनों पर भी अपीलांटस की व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना लाजमी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करते वक्त तरमीम गलत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी/उतरदाता की खातेदारी भूमि के सहारे सहारे लंबा दिया गया जो गैर वाजिब है। जब प्रार्थी/उतरदाता की खातेदारी भूमि तक रास्ता मिल जाता है तो उसके पश्चात अपीलांटस की भूमि में रास्ता काटणा विधि सम्मत नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी खातेदार को परेशान तंग नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 123/2018 वअनवान मांगीदेवी वगैरह बनाम अणदाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 08.08.2023 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर